(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज)

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 176 / 2024 दायर दिनांक: 26.12.2025

उनवान

1. राधेश्याम पुत्र धन्नालाल जाति धाकड़ निवासी सामिया तहसील सुनेल

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय सुनेल
2. पुरीलाल पुत्र हीरा जाति मेघवाल नि. सामिया तहसील सुनेल
3. बादाबाई पुत्री हीरा जाति मेघवाल नि. सामिया तहसील सुनेल

अप्रार्थी

दावा अन्तर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :–
अभिभाषक प्रार्थी :– श्री प्रेमचन्द चौधरी
अप्रार्थी सं. 1 :– पेरोकार सरकार
अप्रार्थी सं. 2 से 3 :– एकतरफा

निर्णय

दिनाक : 26.08.2025

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम सामिया पटवार हल्का गादिया भू.अ.नि. क्षेत्र सलोतिया तहसील सुनेल जिला झालावाड राज. में स्थित कृषि आराजी खाता संख्या नया 179 पुराना 135 के खसरा नम्बर 698 / 526 कुल किता 01 कुल रकबा 2.5293 हैक्टेयर आराजी प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076 संलग्न है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 01 में वर्णित आराजीयात का प्रार्थी खातेदार होकर काश्त करता चला रहा है। सुविधा की दृष्टि से प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 01 में वर्णित आराजी को वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जाता है। यह कि वादग्रस्त आराजीयात का नक्शा ट्रेस वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सहवन से भूलवश गलत तर्मिम हो गया है। पुराने नक्शा ट्रेस के मिलान तर्मिम हो गया है जिसे शुद्ध किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो चुका है। जिसका प्रार्थी शुद्धीकरण करवाने की पात्रता रखने से रेकार्ड में हुई त्रुटी का शुद्धीकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कर पुनः रेकार्ड पूर्व रेकार्ड के नवशा तर्मिम किया जाने का प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत करता है। यह कि वादग्रस्त नवशा ट्रेवस खसरा नम्बर 698/526 नवशा ट्रेस में राजस्व कर्मचारी की भूल से गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी की आराजी वर्तमान नवशा ट्रेस जो गलत दर्ज हो गया है, वहाँ मौके पर अन्य खातेदार की आराजी स्थित है। इसलिए गलत दर्ज त्रुटी नवशा ट्रेस का सही अंकन तर्मिम किया जाना आवश्यक हो चुका है। प्रार्थी की वादग्रस्त आराजी कनवाडा लघू सिंचाई परियोजना में डूब क्षेत्र का सर्वे होने से उक्त खातेदारी की आराजी का मुआवजा अन्य खातेदारों के नाम जारी होने से पूर्व राजस्व रेकार्ड में पूर्व में इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में त्रुटी सुधार कर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी का नक्शा सही तर्मिम किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक हो चुका है। यह कि उपरोक्त त्रुटी राजस्व रेकार्ड में सेग्रिकेशन के दौरान राजस्व कर्मचारी की भूल की वजह से रही है या हुई है जो न्यायहित में दुरुस्ती होने योग्य है। यह कि प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी तथा कानूनगो से उक्त सम्बन्ध में दुरूस्ती के लिए कहा तो उन्होने माननीय न्यायालय में शुद्धीकरण किये जाने की सलाह दी इस कारण यह प्रार्थना पत्र सादर पेश किया है। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अन्दर अवधि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एव श्रवणाधिकार का होने से प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम सामिया पटवार हल्का गादिया भू.अ.नि.क्षेत्र सलोतिया तहसील सुनेल जिला झालावाड राज. में स्थित कृषि आराजी खाता संख्या नया 179 पुराना 135 के खसरा नम्बर 698/526 नक्शा ट्रेस में वर्तमान में हुई सहवन से अशुद्धी का शुद्धीकरण किये जाने के आदेश तहसीलदार सुनेल प.ह. गादिया को प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 2 व 3 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 19.05.2025 अप्रार्थी सं. 2 व 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 1 पैराकार सरकार द्वारा पत्रांक 113 दिनांक 13.02.2025 से जवाब पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सं. 176/2024 राधेश्यामं बनाम राज. सरकार में बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार हैं– ग्राम सामिया के जमाबन्दी वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

20273–2076 (2020 से स्थायी) के खाता सं. 179 पुराना खाता सं. 135 के खसरा नं. 698/526 कुल किता 01 रकबा 2.5293 हैक्ट. आराजी खातेदार राधेश्याम पुत्र धन्नालाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड़ सा. गांव खातेदार राहिन पूर्ण खाता BRKGB बैंक शाखा सुनेल के नाम दर्ज हैं, जो कि सही है। माननीय न्यायालय से संबंधित हैं। वर्तमान में पटवारी हल्का के पास पुराना नक्शा कटा–फटा हुआ है। जिसमें उक्त ख.नं. स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा हैं। इससे पता नहीं लग पा रहा हैं, कि पूर्व में इसकी तरमीम किस दिशा में हुई थी। उक्त ख.नं. 698/528 पुराने नक्शे में कटा–फटा होने से सेग्रीगेशन के समय तरमीम लिपिकीय त्रुटि से गलत दर्ज हो गई हैं। सेग्रीगेशन के दौरान सहवन से लिपिकीय त्रुटि हुई हैं। माननीय न्यायालय से संबधित हैं। माननीय न्यायालय से संबंधित हैं। इसी कम में लेख हैं कि प्रार्थी के उक्त ख नं 698/526 को यदि शुद्धि की जाती हैं तो ख.नं 699/526 जो कि खातेदार पुरीलाल पुत्र हीरा हिस्सा 2/3 जाति मेघवाल व बादाबाई पुत्री हीरा हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा. गांव खातेदार के नाम दर्ज हैं। ख.नं. 699/526 की तरमीम भी प्रभावित होगी। अतः प्रकरण में बिन्दुवार जवाब श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित हैं।

3. अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम सामिया तहसील सुनेल का खाता सं. 179 की जमाबंदी सं. 2073–76, खसरा नक्शा दिनांक 23.12.2024, लटठा नक्शा ट्रेस दिनांक 09.05.2014, खाता सं. 135 जमाबंदी सं. 2069–73, खसरा गिरदावरी सं. 2068–70, लटठा नक्शा ट्रेस दिनांक 02.07.1994, लटठा नक्शा ट्रेस दिनांक 15.08.1991, लटठा नक्शा ट्रेस दिनांक 05.08.2016, खसरा गिरदावरी सं. 2070–72, खसरा नक्शा दिनांक 24.12.2024, राधेश्याम का आधारकार्ड की छायाप्रति, गूगल मेप फोटोग्राफस दिनांक 09.07.2025, एवं अन्य फोटोग्राफस पेश किये।

4. अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस [illegible] गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र [illegible] दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सामिया पटवार [illegible] तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 698/526 रकबा 2.5293 हैक्ट0 आराजी प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी है। तहसील सुनेल के राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आनलाईन करते समय सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कार्मिको ने बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के प्रार्थी की वादग्रस्त भूमि का आनलाईन नक्शा शीट बनाते समय मूल लट्ठा नक्शा के आकार को बदल दिया गया जो कि विधि विरुद्व है। सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कार्मिको को किसी भी खातेदार के राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में परिवर्तन करने का कोई हक व अधिकार नही था। प्रार्थी सेटलमेंट के पूर्व से ही मौके पर लट्ठा नक्शा अनुसार काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा गम्भीर लापरवाही करते हुए बिना किसी अधिकार के प्रार्थी की भूमि के राजस्व नक्शे की पूर्वी दिशा को कम करके लगवा खसरा नम्बर 699/526, व 526 को प्रार्थी के नक्शे के अन्दर तक तरमीम कर दिया गया जिससे प्रार्थी की आराजी का रकबा नक्शे में कम हो गया है जबकि अप्रार्थीगण की आराजी का रकबा राजस्व नक्शे के अनुसार बढ गया है जो दुरुस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आगे तर्क किया गया कि तहसीलदार सुनेल ने अपनी जवाब दिनांक 13.02.2025 में उक्त गलती को सेग्रीगेशन के दौरान सहवन से हुई लिपिकिय त्रुटि स्वीकार किया है। खसरा नम्बर 699/526 व 526 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजुद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहे है जिससे जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण को अपने पक्ष में कुछ नही कहना है। अतः राजस्व कार्मिको द्वारा सेग्रिग्रेशन के दौरान मौके व रिकार्ड की जाचं किये बिना की गई तरमीम को दुरूस्त किया जावे।

5. पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि पटवारी हल्का के पास वादग्रस्त आराजी जो लट्ठा नक्शा है वह कटा–फटा हुआ है जिसमें उक्त ख.नं. की सीमाए स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। इससे पता नहीं लग पा रहा हैं, कि पूर्व में इसकी तरमीम किस दिशा में हुई थी। उक्त ख.नं. 698/528 पुराने नक्शे में कटा–फटा होने से सेग्रीगेशन के समय [illegible] लिपिकीय त्रुटि से गलत दर्ज हो गई हैं जबकि मौके पर प्रार्थी का खेत ऑनलाईन नक्शे से भिन्न है। अतः पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी की तरमीम शुद्ध किया जाना उचित हैं। पुनः तर्क किया कि ऑन लाईन तरमीम सहवन से कब्जानुसार दर्ज न होकर वर्तमान ऑनलाईन नक्शानुसार गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

दर्ज हो गयी जबकि मौका स्थिति पर प्रार्थी का कब्जा मौका रिर्पोट के अनुसार होने से रेकार्ड शुद्धीकरण योग्य है।

6. अभिभाषक प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सामिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2073–76 के अनुसार खसरा न0 698/526 रकबा 2.5293 हैक्ट0 प्रार्थी के खाते दर्ज है जबकि खसरे नम्बर 699/526 रकबा 0.9864 हैक्ट0 अप्रार्थी क्रम 2 व 3 के खाते दर्ज है। तहसीलदार सुनेल ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा न0 698/526 का लट्ठा नक्शा कटा–फटा होने से सीमाए स्पष्ट रुप से दिखाई नही दे रही है जिससे सेग्रीगेशन के दौरान लिपिकिय त्रुटि से गलत तरमीम हो गई थी। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट मे यह अंकन नही किया है कि खसरा नम्बर 698/526 का सेग्रीगेशन के बाद बनाये गये आनलाईन नक्शे रकबा मूल लट्ठा नक्शा के रकबे या जमाबंदी में दर्ज रकबे से कम हुआ है या नही। तहसीलदार सुनेल की रिपोर्ट में खसरा नम्बर 698/526 के बनाये गये आनलाईन नक्शे की आकृति एवं मौके पर कब्जाकाश्त की आकृति भिन्न है।

7. प्रार्थी द्वारा पेश किये गये लट्ठा नक्शा दिनांक 18.08.1995 एवं लट्ठा नक्शा दिनांक 05.08.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सेग्रीगेशन के दौरान प्रार्थी की आराजी के नक्शे की पूर्वी दिशा की गलत तरमीम कर आकृति को परिवर्तित कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा पेश वादग्रस्त आराजी के गुगल मेप से लिये गये मौके के फोटोग्राफस के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि प्रार्थी मौके पर भी लट्ठा नक्शा अनुसार काबिजकाश्त चला आ रहा है और आनलाईन नक्शे में पूर्वी दिशा में गलत तरमीम कि गयी है। यह सही है कि किसी तहसील को आनलाईन करते समय सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कार्मिको को किसी भी खातेदार के किसी भी राईट की मूल प्रविष्टियो में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही है। यदि राजस्व कार्मिको के द्वारा सेग्रीगेशन के दौरान किसी भी राईट की मूल प्रविष्टियो में परिवर्तन किया है या कोई त्रुटि की है तो सहायक भू0अभिलेख अधि0 के रुप में उपखण्ड अधिकारी को ऐसी त्रुटियो को दुरुस्त करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सुनेल द्वारा प्रार्थी की भूमि के राजस्व नक्शे में सेग्रीगेशन के दौरान सहवन से लिपिकिय त्रुटि होना स्वीकार किया है।

8. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128, 131, व 136 के अनुसार भू–सर्वे एवं रिकार्ड ऑपेरेशन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद नक्शे एवं फिल्ड बुक में किसी गांव या गांव के हिस्से की सीमाओं, ऐस्टेट या फिल्ड/खसरे की सीमाओं में ज्ञात होने वाली किसी त्रृटि को या राजस्व रिकार्ड के निरीक्षण के दौरान ज्ञात किसी भी प्रकार की त्रृटि को लेण्ड रिकार्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत दुरूस्त किया जाता सकता है और ऐसे प्रत्येक परिवर्तन का इन्द्राज वार्षिक रजिस्टर में किया जावेगा। राजस्व रिकार्ड में भू प्रबन्धन एवं सर्वे की कार्यवाही के दौरान, सेग्रीगेशन के दौरान, नामा0 तस्दीक करते समय, फर्द–बदर/चौसाला तैयार करते समय राजस्व कार्मिकों द्वारा मूल प्रविष्टि में की गई लिपिकीय त्रृटि या रेकार्ड के निरीक्षण के दौरान भू अभिलेख अधिकारी को ज्ञात त्रृटि को धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दुरूस्त किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम सामिया की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 698/526 के राजस्व नक्शे/लटठा नक्शा में सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व कार्मिाको के द्वारा मौके की स्थिति की जांच पडताल किये बिना तरमीम में की गई लिपीकीय/टाईपिग त्रुटीवश को दुरूस्त करने के लिए उभयपक्षकार सहमत है। अतः धारा 131 एलआरएक्ट के अधीन मूल प्रविष्टि में हुई खसरा नं. के अंकन की त्रुटी को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। सुविधा के लिए यहां धारा 131 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

131. Maintenance of Map and Field Book – After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

any errors which are shown to have been made in such map or field book.

धारा 136 एलआरएक्ट के प्रावधान निम्नानुसार है :–

<u>136. Correction of errors</u> – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण, पेश गुगल फोटोग्राफस, लट्ठा नक्शा की सत्यप्रति दिनांक 09.05.2014, 05.08.2016 एवं 18.08.1995 एवं तहसीलदार सुनेल की मौका रिपोर्ट मय अनुशंषा के आधार पर ग्राम सामिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 698/526 रकबा 2.5293 हैक्ट0 के राजस्व नक्शे की पूर्वी दिशा में की गई त्रुटि/तरमीम दुरुस्ती हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण, पेश गुगल फोटोग्राफस, लट्ठा नक्शा की सत्यप्रति दिनांक 09.05.2014, 05.08.2016 एवं 18.08.1995 एवं तहसीलदार सुनेल की मौका रिपोर्ट मय अनुशंषा के आधार पर ग्राम सामिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 698/526 रकबा 2.5293 हैक्ट0 के राजस्व नक्शे की पूर्वी दिशा में की गई त्रुटि/तरमीम दुरुस्ती हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की आराजी खसरा न0 698/526 के दर्ज रकबे एवं मौके पर कब्जेकाश्त को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

ध्यान मे रखते हुऐ आनलाईन राजस्व नक्शे की पूर्वी दिशा में लट्ठा नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती करें और तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

यह निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/08/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:35:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner